परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्र संख्याः–3515एमटी/19–147एमटी/91(I) दिनॉक– 5 नवम्बर, 2019

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/ सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम,
2– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो),
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय :–परिवहन निगम की बसों की सफाई–धुलाई के सम्बन्ध में।

दिनांक–02 नवम्बर, 2019 को माननीय परिवहन मंत्री उ0प्र0 द्वारा परिवहन निगम मुख्यालय पर आहूत समीक्षा बैठक में गंदी बसों के संचालन पर गम्भीर चिन्ता एवं नाराजगी व्यक्त की गयी।

परिवहन निगम में बसों की उच्च स्तरीय सफाई/धुलाई व्यवस्था हेतु सभी डिपो कार्यशालाओं में वाह्य श्रोत के माध्यम से बस वाशिंग प्लांट लगाये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में 89 डिपो कार्यशालाओं में बस वाशिंग प्लांट कार्यरत हैं। मुख्यालय के पत्र संख्या–2957एमटी/ 19–147 एमटी/ 91–। दिनांक–23 सितम्बर, 2019 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक महोदय ने समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों, सेवा प्रबन्धकों एवं डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को परिवहन निगम की बसों एवं अनुबन्धित बसों की सफाई–धुलाई के बारे में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये थे जिसके अनुसार निगम की सभी बसों की उच्च स्तरीय सफाई सुनिश्चित की जानी थी ।

मुख्यालय द्वारा दी गयी उक्त व्यवस्थाओं एवं सेवाप्रदाता फर्म को नियमित भुगतान के पश्चात् भी मार्ग पर बसों का गन्दा पाया जाना यह दर्शाता है कि डिपो तथा क्षेत्र के अधिकारियों एवं उपाधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है । मार्ग पर बसों का गन्दा पाया जाना यह भी दर्शाता है कि कतिपय सेवाप्रदाता फर्मो को बसों की समुचित सफाई–धुलाई किये बिना ही भुगतान किया जा रहा है। यह गम्भीर अनियमितता है तथा आप द्वारा इस सम्बन्ध में नियमित अनुश्रवण व परीक्षण नहीं किया जा रहा है।

बसों की उच्च स्तरीय सफाई–धुलाई सुनिश्चित करने के लिए पुनः निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते है।

1. बसों के शीशे की अन्दर एवं बाहर से लिक्विड इन्डस्ट्रियल डिटर्जेन्ट से सफाई करनी होगी।
2. बसों के अन्दर एवं बाहर की तरफ से पूरी सफाई करायी जाय। पैसेन्जर सीट एवं बैक रेस्ट की तथा फर्श की ड्राई/वेट वैक्यूम क्लीनर के द्वारा सफाई–धुलाई करायी जाय।
3. बसों के अन्दर एवं बाहर की सफाई करते समय अनाधिकृत एडवर्टाइजमेन्ट के स्टीकर एवं पैम्फलेट को निकाल दिये जाय।
4. डिपो से आउटसेडिंग के वक्त धुली– साफ की गयी बसें ही मार्ग पर भेजी जायेंगी, बिना धुली बसों को चालक मार्ग पर नहीं ले जायेंगे व न ही ड्यूटी स्लिप कटेगी।
5. प्रवर्तन कर्मियों द्वारा मार्ग निरीक्षण के समय यदि बस गन्दी पायी जाती है तो उसकी रिपोर्ट क्षेत्रीय प्रबन्धक/स0क्षे0प्र0 (डिपो) को प्रेषित की जाय।
6. बस की सफाई–धुलाई हुए बिना बस संचालित पाये जाने पर डिपो के सीनियर फोरमैन, ड्यूटी स्लिप निर्गत करने वाले केन्द्र प्रभारी/लिपिक, शन्टिंग चालक जिसके द्वारा बस धुलवाई गयी हो एवं बस के चालक पर 500 रू0 का अर्थ दण्ड निरूपित किया जाय एवं निरन्तर कमी पाये जाने पर स0क्षे0प्र0 की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाय। यह कार्यवाही क्षेत्रीय प्रबन्धक सुनिश्चित करेंगे।
7. डिपो के सीनियर फोरमैन यह सुनिश्चित करेंगे कि बस को इनसेड होने पर डीजल भरवाने के बाद बस की सफाई–धुलाई कराकर ही कार्यशाला में तकनीकी कार्य कराये जाय।

8. क्षेत्रीय प्रबन्धक यह सुनिश्चित करे कि प्रवर्तन कार्मिक अपने डी0सी0आर0 में बसों की चेकिंग के साथ साफ–सफाई की स्थिति अंकित करें।
9. बस स्टेशनों पर जो बसें 01 घन्टा या उससे अधिक समय तक रूकती हों एवं कम से कम 200 किमी0 चलकर आयी हो, उन बसों की उक्त स्टेशनों पर सफाई/धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। क्षेत्रीय प्रबन्धक, मुख्यालय के निर्देशानुसार यह व्यवस्था, प्रत्येक उन स्टेशनों पर जहाँ 25 बसों से अधिक बसें 200 किमी से अधिक संचालित होकर आती है, 30 नवम्बर तक विकसित करेंगे।
10. डिपो के स0क्षे0प्र0 एवं सीनियर फोरमैन वाशिंग प्लांट की कन्डीसन, डिटर्जेन्ट की उपलब्धता एवं सफाई व्यवस्था/कार्य की गुणवत्ता की साप्ताहिक रिपोर्ट क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सेवा प्रबन्धक को उपलब्ध करायेंगे। क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक मुख्यालय बसों की सफाई–धुलाई के बिलों के साथ डिपो की प्रत्येक सप्ताह की रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।
11. कई डिपो में आटोमेटिक वाशिंग प्लांट अत्यन्त जर्जर दशा में है, बार–बार खराब होते है, सफाई ठेकेदार के कर्मचारी पर्याप्त संख्या में नहीं रहते है, ऐसा संज्ञान में आया है कि क्षेत्रीय प्रबन्धन द्वारा उक्त के बावजूद भी अनुबन्ध पत्र के शर्तों के अनुसार सेवा प्रदाता फर्म के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा डग ड्यूटी के ड्राइवर भी कई बार उपलब्ध नहीं होते है। इस कारण से बसों की नियमित सफाई–धुलाई नहीं हो पा रही है। यह कुप्रबन्धन व घोर लापरवाही का द्योतक है। सफाई व्यवस्था का सुचारू ढंग से लगातार कार्यरत रहना स0क्षे0प्र0 तथा क्षे0प्र0/से0प्र0 का दायित्व है एवं दैनिक अनुश्रवण किया जाना है।

यदि भविष्य में परिवहन निगम की बसों अथवा अनुबन्धित बसों को बिना समुचित सफाई–धुलाई के मार्ग पर संचालित पाये जाने पर बस जिस डिपो/क्षेत्र से सम्बद्ध है के क्षे0प्र0/से0प्र0/स0क्षे0प्र0(डिपो) कों समान रूप से उत्तरदायी मानते हुए कार्यवाही की जायेगी। यदि बस 200 किमी0 से अधिक संचालन के पश्चात् किसी बस स्टेशन से बिना सफाई के संचालित होती है तो उस डिपो/क्षेत्र जिसके नियंत्रण में बस स्टेशन है के क्षेत्रीय प्रबन्धक/स0क्षे0प्र0(डिपो) के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(राधेश्याम)
अपर प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1. सहायक प्रबन्धक,प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0/संचा0), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
4. श्री राजीव चौहान,प्रधान प्रबन्धक(प्रवर्तन), परिवहन निगम मुख्यालय को, मुख्यालय के प्रवर्तन दलों को निरीक्षण के समय बसों की सफाई चेक करने के लिए निर्देश निर्गत करने हेतु प्रेषित।
5. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।

(राधेश्याम)
अपर प्रबन्ध निदेशक